गर्भ समापन, प्रसव–पूर्व परीक्षण और विकलांगता पर नैरोबी सिद्धांत

वर्ष 2018 में, क्रिया ने गर्भ समापन, प्रसव–पूर्व परीक्षण और विकलांगता पर विश्व–स्तरीय गोष्ठी आयोजित की, जिसमें विभिन्न संदर्भों और क्षेत्रों की नारीवादी संस्थाएं, विकलांगता के साथ जी रही औरतों की संस्थाएं और यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के मुद्दे पर सहयोग देने वाली संस्थाएं साथ आईं। इन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने औरतों, और विशेषकर विकलांगता के साथ जी रही औरतों द्वारा, यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों की मांग करते हुए, उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन होने की पुष्टि की और इसकी भी कि यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों तथा विकलांगता के जुड़ावों पर चर्चा करना कितना ज़रूरी होता जा रहा है।

गर्भ समापन, प्रसव–पूर्व परीक्षण और विकलांगता पर नैरोबी सिद्धांतों का उद्देश्य है कि वे विकलांगता, यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों और महिला अधिकारों पर काम करने वाले आंदोलनों के बीच आपसी संवाद शुरु करने का काम करें और इन अधिकार के मुद्दों के आपसी जुड़ावों पर अधिक से अधिक संवाद बनाने की एक सतत पहल का काम करें। यह सिद्धांत इन आपस में गहराई से जुड़ाव रखने वाले अधिकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण जनवकालत के काम को आधार देते हैं, जिस काम को सरकारें, नीति–निर्माता और मानव अधिकार के ढांचे अक्सर नज़रंदाज़ कर देते हैं। साथ ही, यह आंदोलनों के बीच एकजुटता बनाने का भी काम करते हैं।

विकलांगता के साथ जी रहे व्यक्तियों के अधिकारों पर कमिटि (सी.आर.पी.डी.) और महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को हटाने के लिए कमिटि (सीडॉ) द्वारा जारी किया गया एक संयुक्त वक्तव्य जिसका शीर्षक है *'गारंटीइंग सैक्शुॅल ऐंड रीप्रोडक्टिव हैल्थ ऐंड राइट्स फॉर ऑल विमेन, इन पर्टिकुलर विमेन विद डिसेबिलिटीज़'* और इससे पहले कैटलीना देवनदास, जो कि विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के विषय पर विशेष दूत हैं, की रिपोर्ट *'सैक्शुॅल ऐंड रीप्रोडक्टिव हैल्थ ऐंड राइट्स ऑफ गर्ल्स ऐंड यंग विमेन विद डिसेबिलिटीज़'* जिसे आम सभा (2017) के 72वें सत्र में पेश किया गया था – यह दोनों दस्तावेज़ इन सिद्धांतों का मार्गदर्शन करते हैं।

प्रस्तावना

पुष्टि करते हुए कि यौनिक और प्रजनन अधिकार, जिसमें सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुंच भी शामिल है, वे यौनिक एवं प्रजनन अधिकार अधिवक्ताओं और विकलांगता के साथ जी रही औरतों और लड़कियों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता रखते हैं और यह *पहचानते* हुए कि सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुंच तथा विकलांग अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच कोई विसंगति नहीं है, बशर्ते इसमें स्वायत्तता, समानता और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य देखरेख तक पहुंच पर आधारित जेन्डर और विकलांगता संवेदनशील विमर्श शामिल हो;

पहचानते हुए कि यौनिक एवं प्रजनन अधिकार, और विशेषकर सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुंच, विश्व के हर देश में खतरे में हैं, और यह कि गर्भसमापन–विरोधी अधिवक्ता अक्सर इन अधिकारों को बाधित करने के लिए, विकलांगता अधिकारों की भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं;

स्वीकारते हुए कि पूरे इतिहास में विकलांगता के साथ जी रहे लोग, विशेषकर विकलांगता के साथ जी रही औरतें और लड़कियां, युगीन नीतियों का निशाना बनी रही हैं जिनके आधार पर अभी भी कई देशों में कानून और नीतियां बनाई जा रही हैं, जिनका उपयोग उन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है कि वे प्रजनन ना करें; उन्हें शारीरिक, यौनिक और प्रजनन स्वायत्तता से वंचित रखने के लिए किया

जाता है; और उनकी जानकारी, शिक्षा तक पहुंच तथा उनके यौनिक एवं प्रजनन अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए किया जाता है;

अपनाने से इंकार करते हुए युगीन नीतियों की हानिकारक विरासत को, और यौनिक एवं प्रजनन अधिकार आंदोलन तथा विकलांग आंदोलन के बीच उपयोगी बातचीत का आह्वान करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगता के साथ जी रही औरतें और लड़कियां गर्भसमापन अधिकारों की चर्चाओं में पूरी तरह से भागीदार बनें और इन चर्चाओं में उनके अधिकारों पर पूरी तरह से विचार किया जाए;

पहचानते हुए, जो विकलांगता के साथ जी रही औरतों और लड़कियों का यौनिक एवं प्रजनन अधिकार की चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सुरक्षित गर्भसमापन भी शामिल है, और यह भी कि उनको प्रभावित करने वाली चर्चाओं में उनकी भागीदारी होना ज़रूरी है जिससे कि उनके अधिकार और विकलांगता के साथ जी रहे सभी लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें;

स्वागत करते हैं, हाल में संयुक्त राष्ट्र की विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों (सी.आर.पी. डी.) और महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने (सीडॉ) के विषय पर गठित कमिटियों के संयुक्त वक्तव्य का, जिसमें ''हर महिला, विशेषकर विकलांगता के साथ जी रही महिलाओं, के यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार आश्वस्त किए गए हैं,'' और विशेषकर इसका कि गर्भसमापन से जुड़े मानव अधिकार मानकों को बढ़ावा देने की दिशा में इस वक्तव्य ने प्रगति की है;

पहचानते हुए कि यह सिद्धांत उन अधिवक्ताओं को अवसर देते हैं कि वे विकलांगता के साथ जी रही औरतों और लड़कियों के यौनिक एवं प्रजनन अधिकारों को एकसाथ लाकर सुरक्षित गर्भसमापन पर जनवकालत कर सकें;

सिद्धांत

1. हम पहचानते हैं कि मानव अधिकारों की शुरुआत जन्म से हो जाती है और वे सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं।
2. हम पुष्टि करते हैं कि स्वायत्तता और स्व–निर्धारण के मूल्य हमारे काम का मार्गदर्शन करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अपने शरीर और जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है। हम सभी लोगों की स्वायत्तता और स्व–निर्धारण के लिए जनवकालत करेंगे, जिसमें गर्भ धारण किए हुए और विकलांगता के साथ जी रहे लोग शामिल हैं, और यह यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर हमारे काम का मूलभूत पहलू है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि औरतों और जो भी लोग गर्भधारण कर सकते हैं उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे गर्भधारण करना चाहते हैं या नहीं और गर्भधारण हो गया तो उसे जारी रखना चाहते हैं या नहीं, और उन्हें प्रत्येक वैज्ञानिक, सबूत–आधारित व निष्पक्ष जानकारी पाने का अधिकार होना चाहिए, चाहें उनका निर्णय कुछ भी हो। अपने गर्भधारण का व्यक्तिगत चुनाव युगीन नहीं है, और कोई भी अपने गर्भधारण के विषय में चुनाव करते समय भेदभाव नहीं करता।
4. हम पहचानते हैं कि सक्षमतावाद व्यापक है और विकलांगता के साथ जी रहे लोगों को उनके जीवन के कई पहलुओं में विविध प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसकी जड़ें विकलांगता से जुड़े कलंक और हानिकारक रूढ़िवाद में हैं जो ऐसे विचारों को बढ़ावा देता है कि विकलांगता के साथ जी रहे लोगों का जीवन कम मूल्यवान है या फिर कि उन्हें अपने जीवन और भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हम यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों

से संबंधित कानूनों, नीतियों और कार्यप्रणालियों के लिए जनवकालत करेंगे जो विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के खिलाफ़ कलंक और भेदभाव को बढ़ावा न देते हों, और हम सचेत रहेंगे कि हमारी जनवकालत में हम कलंकित करने वाली भाषा का उपयोग ना करें।

5. हम पहचानते हैं कि यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों तक पहुंच को सीमित करने वाले कानून, नीतियां और कार्यप्रणालियां मानव अधिकारों के हनन को बढ़ावा देती हैं। विशेषकर, हम पहचानते हैं कि सुरक्षित गर्भसमापन के आपराधीकरण का महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें मातृ रुग्णता और मृत्युदर का बढ़ना शामिल है। गर्भसमापन के आपराधिक कानून व अन्य प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं और यह विकलांगता कलंक को समाप्त करने का तरीका नहीं हैं, न ही इससे विकलांगता के साथ जी रहे लोगों को सहयोग मिलता है।
6. हम पुष्टि करते हैं कि सभी भावी माता–पिताओं को उनके गर्भधारण को कायम रखने या समाप्त करने का सूचित निर्णय लेने में सहयोग करने का एकमात्र तरीका सकारात्मक तरीकों में हैं, जैसे कि प्रसव–पूर्व परीक्षणों और काउन्सिलिंग प्रक्रियाओं में सक्षमता के आधार को चुनौती देना, सुनिश्चित करना कि सभी माता–पिता एक सक्षम वातावरण में हैं और उन्हें किसी भी बच्चे का पालन करने के लिए सामाजिक और आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जिसमें विकलांगता के साथ पैदा हुए बच्चे शामिल हैं या जिसे अन्य कारणों से सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया हो, और सार्वजनिक तथा निजि जीवन के हर क्षेत्र में विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें शामिल किया जाए।
7. हम विश्व भर में सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुंच बनाने के लिए जनवकालत करने के प्रति वचनबद्ध हैं। भूमण्डलीय स्तर पर, हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों, जो कि बिना किसी कारण की बाध्यता के सुरक्षित गर्भसमापन के अधिकार को स्वीकृति देते हैं और गर्भसमापन तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं, के लिए जनवकालत करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। कुछ प्रतिबंधात्मक संदर्भों जहां गर्भसमापन कुछ विशिष्ट कारणों पर ही किया जा सकता है, या जहां जनवकालत उन कारणों को बढ़ाने तक ही सीमित है, वहां हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि कानूनों का उपयोग विकलांगता के साथ जी रही औरतों या लोगों को कलंकित या हाशिए पर धकेलने के लिए ना किया जाए।
8. हम विकलांगता के साथ जी रहे लोगों की स्वायत्तता और स्व–निर्धारण के लिए काम करेंगे, जो कि केवल गर्भ समापन के संदर्भ में ही नहीं बल्कि प्रजनन न्याय की श्रेणी के पूरे अधिकारों पर उन्हें मिलनी चाहिए, विशेषकर ऐसे उल्लंघनों के संदर्भ में जो विकलांगता के साथ जी रही औरतों और लड़कियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उन्हें ज़बरदस्ती गर्भ समापन, गर्भ निरोधन, और नसबंदी के लिए मजबूर किया जाना। हम विकलांगता के साथ जी रही औरतों और लड़कियों की स्वायत्तता और स्व–निर्धारण का सहयोग करेंगे, जिसमें वे औरतें भी शामिल हैं जो प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने और गर्भ जारी रखना है या नहीं यह निर्णय लेने की कानूनी क्षमता से वंचित हैं। हम अपने काम द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकें और यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सूचनाएं उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुरूप फॉर्मेट में उपलब्ध हों। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें सहयोगी सेवाएं मिलें। हम विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के माता–पिता बनने के अधिकार का समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के इस अधिकार को विकलांगता से जुड़ी रूढ़िबद्धताओं या आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण सीमित नहीं किया जाना चाहिए। और यह भी कि विकलांगता के साथ जी रहे लोगों को सहयोगी प्रजनन तकनीकों और बच्चे गोद लेने, तथा साथ

ही माता–पिता की भूमिका निभाने के लिए निजि सहयोग तथा अन्य सहयोग समान रूप से प्राप्त होना चाहिए।

9. हम विभिन्न समुदायों/समूहों [i] की विकलांगता के साथ जी रही औरतों को सभी विषयों की चर्चाओं में सक्रियता से शामिल करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि विकलांगता के साथ जी रही औरतें न केवल विकलांगता–विशिष्ट चर्चाओं में शामिल रहें, बल्कि यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के सभी पहलुओं पर होने वाली चर्चाओं में शामिल हों।
10. हम यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों संबंधी जानकारी, सूचनाओं, उत्पादों, और सेवाओं तक उनकी पहुंच, और साथ ही कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चाओं के लिए उनके पहुंचने योग्य स्थानों के लिए जनवकालत करेंगे। हम पहुंचने योग्य जानकारी, सूचनाओं, उत्पादों, सेवाओं और जगहों को सुनिश्चित करने के विषय पर मार्गदर्शन के लिए विकलांगता के साथ जी रहे लोगों से ही जानकारी लेंगे।
11. हम पहचानते हैं और सम्मान करते हैं कि सभी धर्मों और नीति–संबंधी दृष्टिकोणों के लोगों की उनके प्रजनन चुनावों के संदर्भ में बाधाओं और संभावनाओं की समझ अलग–अलग होती है। वास्तव में, विविध धार्मिक पृष्ठभूमि के कई लोग गर्भसमापन अधिकारों का अपनी धार्मिक मान्यताओं के समनुरूप समर्थन करते हैं, और कुछ अन्य लोग, जो चाहें निजि रूप से गर्भसमापन का विरोध करते हों फिर भी वे अपना दृष्टिकोण दूसरों पर नहीं थोपते। दुर्भाग्य से, कुछ धार्मिक कर्ता विकलांगता अधिकारों की भाषा का गलत उपयोग गर्भसमापन तक पहुंच रोकने के लिए कर रहे हैं। ज़रूरी है कि यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के कानून और नीतियां निजि मान्यताओं के बजाए सही वैज्ञानिक प्रमाणों और मान्यताप्राप्त मानव अधिकार मानकों पर आधारित हों, फिर चाहें यह मान्यताएं किसी समुदाय के लिए प्राथमिकता ही क्यों न रखती हों।
12. जैसे जैसे जन्म–पूर्व विज्ञान और तकनीकों में उन्नति हो रही है, हम पहचानते हैं कि जन्म–पूर्व परीक्षणों और नैदानिक प्रक्रियाओं के दौरान सेवा प्रदाताओं द्वारा गर्भवती लोगों को तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से सबूत–आधारित जानकारी दी जानी चाहिए। हम व्यवसायी और नैतिक मानकों तथा चिकित्सीय शिक्षा के लिए जनवकालत करेंगे जो सुनिश्चित करे कि सेवा प्रदाताओं को विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों और जीवन की वास्तविकताओं पर प्रशिक्षण मिले या वे उन्हें ऐसे लोगों के पास रेफर करें जो उन्हें यह जानकारी दे सकते हैं।
13. हम सक्रियता से विभिन्न आंदोलनों के बीच एक–दूसरे को शिक्षित करने की प्रक्रिया में योगदान देंगे जिससे कि जेन्डर ओर विकलांगता दोनों आंदोलनों में एक–दूसरे के मुद्दों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

समर्थन

संस्थागत समर्थन :

ऐक्शन केनेडा फॉर सैक्शुॅल हैल्थ ऐंड राइट्स

अकाहत

ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल

आन्टेनेटल रिज़ल्ट्स ऐंड च्वॉएसिज़

ए.एन.आई.एस.

एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप

ऐस्ट्रा नेटवर्क

सेन्टर फॉर रीप्रोडक्टिव राइट्स

कोअलिशन ऑफ अफ्रीकन लेस्बियन्स

क्रिया

फेडरेशन फॉर विमेन ऐंड फैमिली प्लानिंग

फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसायटी, मुम्बई

इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेशन, वैस्टर्न हैमिस्फियर रीजन

इंटरनेशनल विमेन्स हैल्थ कोअलिशन

आई.पी.ए.एस.

लीगल ऐक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (युगान्डा)

स्टोवारज़िसज़ीनी स्ट्रेफा वीनस ज़ी मिलो (स्ट्रेफा वीनस ज़ी मिलो असोसिएशन)

सैक्शुॅअल राइट्स इनिशिएटिव

विमेन एनेबल्ड इंटरनैशनल

<u>व्यक्तिगत समर्थन :</u>

ऐन्ड्रिया पारा (कोलम्बिया)

कैथरीन हाइड टाउन्सेन्ड, स्वतंत्र सलाहकार (यू.एस.ए.)

इनाकी रिग्युएरो डे गायकोमी (अर्जेन्टीना)

जेन फिशर, निर्देशक, आन्टेनेटल रिज़ल्ट्स ऐंड च्वॉइसिज़ (यू.के.)

कमिला फेरेन्क, वकील, फेडरेशन फॉर विमेन ऐंड फैमिली प्लानिंग (पोलैंड)

कटरीना ऐन्डरसन, जेन्डर और यौनिकता वकील (यू.एस.ए.)

शमीम सलीम (केन्या)

सिल्विया क्वान, जेन्डर और विकलांगता वकील (गुआटेमाला)

सुचित्रा दाल्वी, कार्यकारी निर्देशक, ऐशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप (भारत)

---

[i] हम सुनिश्चित करेंगे कि विकलांगता के साथ जी रही औरतें, विशेषकर जिन्हें उनके यौनिक और प्रजनन अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के और एक–दूसरे को काटने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा है, वे प्रतिनिधित्व करें, जिनमें शामिल हैं हांलाकि इन तक ही यह सीमित नहीं है, बौद्धिक विकलांगता के साथ जी रही औरतें, मानसिक–सामाजिक विकलांगता के साथ जी रही औरतें, बधिर औरतें, बधिर और दृष्टिहीन औरतें, अरंजक औरतें, विकलांगता के साथ जी रही आदिवासी औरतें, विकलांगता के साथ जी रही प्रजातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक औरतें, और विकलांगता के साथ जी रही एल.बी.टी.क्यू.आई. औरतें।